<u>Date – 16 July 2022</u>

सेवा शुल्क: CCPA

- हाल ही में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचने और सेवा शुल्क का आकलन करने वाले होटलों और रेस्तरां में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए नियम जारी किए हैं।

YOJNA IAS

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए):

- इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए) 2019 के तहत स्थापित किया गया था।
- यह उपभोक्ता अधिकारों के दुरुपयोग, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विपणन को नियंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है।
- इसमें अधिनियम के तहत सीपीए, 2019 की धारा 18 के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन को बचाने, बढ़ावा देने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से रोकने की शक्ति है।
- इसके अलावा, यह उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल न हो और उपभोक्ताओं के अधिकारों को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का भी अधिकार है।

नए दिशानिर्देश:

- इसके मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज चार्ज के नाम पर बिल में स्वत: या डिफॉल्ट रूप से अतिरिक्त चार्ज वसूलने पर रोक है.
- उन्हें ग्राहकों को सूचित करना चाहिए कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक और वैकल्पिक हैं।
- सबसे महत्वपूर्ण बात, होटल और रेस्तरां को अब सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर प्रवेश या सेवाओं को सीमित करने की अनुमति नहीं है।
- इसके अलावा, होटलों को अपने बिलों में सेवा शुल्क जोड़ने और कुल जीएसटी जमा करने की अनुमति नहीं है।
- कोई भी टिप, टोकन, दान आदि को होटल के कर्मचारियों और उपभोक्ता के बीच एक अलग लेनदेन माना जाएगा जो उपभोक्ता के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक है।

सुधार प्रक्रिया:

- यदि कोई होटल या रेस्तरां सेवा शुल्क ले रहा है, तो ग्राहक संबंधित होटल या रेस्तरां को बिल से सेवा शुल्क काटने के लिए कह सकता है या एनसीएच पर 1915 नंबर पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन मुकदमे से पहले के चरण में एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में कार्य करती है।
- त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक रूप से nic.in के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

सेवा कर:

- यह ग्राहक और रेस्तरां के कर्मचारियों, विशेष रूप से प्रतीक्षा कर्मचारियों के बीच एक टिप या सीधा लेनदेन है।
- यह मुख्य उत्पाद या सेवा की खरीद से संबंधित सेवाओं के लिए ली जाने वाली लागत है।
- यह आतिथ्य और खाद्य और पेय उद्योगों द्वारा उपभोक्ताओं की सेवा के लिए शुल्क के रूप में एकत्र किया जाता है।

नए दिशानिर्देश जारी करने का कारण:

- भुगतान बिलों में अनावश्यक रूप से सेवा शुल्क लगाने के संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की गईं।
- बिल अक्सर कुछ अन्य शुल्कों की आड़ में कुल राशि के रूप में अतिरिक्त राशि वसूल रहा था।
- नए नियमों के अनुसार, किसी उपभोक्ता से मेनू पर खाने की वस्तु की कीमत से अधिक शुल्क और लागू करों को सीपीए के तहत 'अनुचित व्यापार व्यवहार' माना जाता है।

स्वदीप कुमार

YOJNA IAS

I2U2 शिखर सम्मेलन

- हाल ही में पहला I2U2 (भारत, इज़राइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात) नेताओं का शिखर सम्मेलन आभासी रूप में आयोजित किया गया था।

I2U2

- I2U2 भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक समूह है। इसे 'वेस्ट एशियन क्वाड' के नाम से भी जाना जाता है।
- I2U2 का गठन अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के बाद समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए किया गया था।
- 'अब्राहम समझौता' पिछले 26 वर्षों में इजरायल और अरब देशों के बीच पहला शांति समझौता है।

उद्देश्य:

- इसका घोषित उद्देश्य "पारस्परिक हित के सामान्य क्षेत्रों में और बाहर व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना" पर चर्चा करना है।
- देशों द्वारा आपसी सहयोग के छह क्षेत्रों की पहचान की गई है और इसका उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश को बढ़ावा देना है।

YOJNA IAS

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं:

- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने पूरे देश में फूड पार्क विकसित करने के लिए भारत में 2 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश की घोषणा की।
- भारत इस परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराएगा और किसानों को फूड पार्कों में जोड़ने की सुविधा प्रदान करेगा।
- समूह ने गुजरात में एक "संकर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना" के समर्थन की घोषणा की, जिसमें 300 मेगावाट (मेगावाट) पवन और सौर क्षमता शामिल है।
- यह परियोजना 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के लिए भारत में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
- अमेरिका और इज़राइल को निजी क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करने और समूह के तहत परियोजनाओं की समग्र स्थिरता में योगदान करने वाले अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

फूड पार्क:

- फूड पार्क एक अवधारणा है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता बाजारों को खेत से प्रसंस्करण तक सीधा जोड़ना है।
- इसमें केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र से जुड़े संग्रह केंद्र (सीसी) और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (पीपीसी) शामिल हैं।

फूड पार्क का महत्व:

खाद्य असुरक्षा से निपटना:

- फ़ूड पार्कों में निवेश से दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद मिलेगी, जबकि फसल की पैदावार अधिकतम होगी।
- उनका उद्देश्य "खाद्य हानि और भोजन खराब होने" को कम करना है।
- भारत विश्व का प्रमुख खाद्य उत्पादक है।
- यूक्रेन में वर्तमान सैन्य स्थिति की पृष्ठभूमि में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान देना अनिवार्य हो गया है, जिसका खाद्य, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

YOJNA IAS

आय में वृद्धि:

- किसानों की आय कई गुना बढ़ जाएगी और वे मेज पर आ जाएंगे।
- कृषि आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करना:
- भारत को खाद्य परियोजना के लिए चुना गया था क्योंकि यह इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात से निकटता के कारण एक सुगम कृषि आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद करेगा।

स्वदीप कुमार

YOJNA IAS